भारत सरकार

वस्‍त्र मंत्रालय

राज्‍य सभा

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3976**

2 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

**विद्युतकरघा/संश्लिष्‍ट धागे के हथकरघा उत्पाद होने के दावों की जांच करना**

**3976. श्री के०के० रागेश:**

क्या वस्‍त्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

 (क) क्या विद्युतकरघा और संश्लिष्‍ट धागे/मिश्रित वस्‍त्र के उन मामलों की जांच नहीं की जा रही है, जो हथकरघा होने का दावा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे झूठे दावों की जांच हेतु कोई ठोस प्रस्ताव है;

 (ग) क्या हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्‍ता को उसकी उपलब्‍धता तथा सरकारी उपायों की प्रभावोत्‍पादकता को मापने हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

उत्तर

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

(क) और (ख) प्रवर्तन शाखा और बुनकर सेवा केंद्र के अधिकारी विभिन्न हथकरघा एक्सपो/प्रदर्शनियों/शिल्प मेलों के दौरान बिक्री किए जा रहे हैंडलूम उत्पादों की वास्तविकता की जांच करते हैं । वस्‍त्र मंत्रालय असली हथकरघा उत्पादों के लिए 'हथकरघा मार्क' और 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' (आईएचबी) लेबल जारी करता है और इन लेबलों के लिए नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है । प्रवर्तन शाखा और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां “हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्‍तुओं का आरक्षण) अधिनियम,1985” के तहत आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित उत्पादन गतिविधियों की जांच करती हैं ।

(ग)और (घ) उपभोक्ताओं के लिए हथकरघा उत्पादों की उपलब्‍धता का आकलन हैंडलूम मार्क/आईएचबी लेबल की बिक्री, एक्सपो /प्रदर्शनियों/ मेलों के दौरान और ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्‍यम से बिक्री और ग्राहकों की संख्‍या के आधार पर किया जाता है । हथकरघा उत्‍पादों के विपणन के सवंर्धन के लिए राष्‍ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) के तहत राष्‍ट्रीय हथकरघा एक्‍सपो (एनएचई), विशेष हथकरघा एक्‍सपो (एसएचई), जिला स्‍तरीय आयोजनों (डीएलई) और शिल्‍प मेलों जैसे विपणन आयोजनों का आयोजन किया जाता है । इसके अलावा हथकरघा उत्‍पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए 21 ई-कॉमर्स संस्‍थाओं को भी अनुबंधित किया गया है । हथकरघा मार्क योजना के तहत 20,183 पंजीकरण किए गए हैं और दिनांक 31.12.2017 तक 7,45,67,728 लेबल जारी किए गए हैं । आईएचबी के तहत दिनांक 31.12.2017 तक 1007 पंजीकरण जारी किए गए हैं ।

\*\*\*\*\*\*